न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 02/2019

अपीलान्ट–

श्रीमती धीसीदेवी उर्फ मोहिनीदेवी पुत्री श्री भोलिया उर्फ भोलाराम जी पत्नी श्री रावमराम, उम्र 75 वर्ष, जाति मेघवाल भांबी, निवासी मकान नम्बर 163 न्यू वार्ड नम्बर 9 रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स–

01. श्रीमती लादुडी देवी पत्नि श्री स्व. भोलूराम उर्फ भोलिया जाति भांबी मेघवाल, निवासी जयनारायण व्यास कॉलोनी सूरसागर जोधपुर। (फौत)
02. स्व. बजरंग पुत्र स्व श्री भोलाराम के कायम मुकान
    2/1 श्रीमती सम्पत पत्नि श्री बजरंग, (फौत)
    2/2 श्रीमती गुरजा पुत्री बजरंग पत्नि श्री बीरमाराम,
    2/3 श्रीमती शहनाई पुत्री श्री बजरंग, पत्ति श्री बबलू,
    2/4 दिनेश पुत्र श्री बजरंग,
    2/5 कमलेश श्री बजरंग, निवासीगण जयनारायण व्यास कॉलोनी सूरसागर जोधपुर।
03. भंवरलाल पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम–
    3/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवरलाल, (फौत)
    3/2 मुन्नालाल पुत्र श्री भंवरलाल,
    3/3 मेगराज पुत्र श्री भंवरलाल,
    3/4 रामेश्वर पुत्र श्री भंवरलाल,
    3/5 श्रीमती सुशीला पुत्री श्री भंवरलाल, पत्नि किशनलाल,
    3/6 श्रीमती कांता पुत्री श्री भंवरलाल, पत्नि री ओमप्रकाश,
    3/7 श्रीमती संतोष पुत्री श्री भंवरलाल, पत्नि ओंकारलाल, निवासीगण रेलवे स्टेशन के पास मेड़ता रोड़ नागौर।
04. नरसिंगराम पुत्र श्री मंगलाराम,
05. नैनाराम पुत्र श्री मंगलाराम निवासीगण भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लूणी, वर्तमान झंवर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर जरिये नामान्तरकरण संख्या–39 दिनांक 31.03.1973 के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति–

अपीलांटस् की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता।
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री हनुमान प्रजापत अधिवक्ता।
रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से श्री पी. आर. प्रजापत अधिवक्ता।
रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

– आदेश –   दिनांक 15/01/2015

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाट के पिता स्व. श्री भोलाराम उर्फ भोलिया पुत्र श्री रतना भाबी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई है जिसमे उत्तराधिकारी की हेसियत से अपीलांट का 1/4 हिस्सा बनता है। अपीलाट के पिता के देहान्त होने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में उनकी प्रथम पत्नि श्रीमती ...देवी का भी देहान्त होने के बाद उनका एक मात्र पुत्र भंवरलाल हुऐ जिसका भी देहान्त दिनाक 29.11.1990 हो गया, जिसके वारिसान के रूप में रेस्पोडेन्ट सख्या 3/1 से 3/7 है, तथा इसी प्रकार भोलिया उर्फ भोलाराम के द्वितीय पत्नि के रूप मे श्रीमती लादूडी एव पुत्र बजरग व श्रीमती धीसी उर्फ मोहिनी पुत्र के रूप मे उत्तराधिकारी हुऐ। स्व भोलाराम उर्फ भोलिया के सजरा खानदान अनुसार अपीलाट धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलाट व रेस्पोडेन्टस के पिता व दादा स्व. भोलाराम उर्फ भोलिया के मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके जाईन्दा उत्तराधिकारी क्रमशः अपीलांट व रेस्पोडेन्टस् है जबकि पटवारी व राज्य कर्मचारीयो की मिलिभगत से मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बजरंग का नाम फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवा दिया, जबकि अपीलांट का भी नाम राजस्व रिकोर्ड मे 1/4 की हेसियत से दर्ज किया जाना था लेकिन विद्वान् सरपंच महोदय नामान्तकरण संख्या 39 को स्वीकृत करते समय सभी वारिसानो की जांच के बारे में विधिक भूल की है. इसलिए नामान्तकरण जैर अपील बिल्कुल गलत, निराधार, सुस्पष्ट विधि के विपरित मनमाना रेकर्ड पर आयी साक्ष्य के विपरित होने से कारण काबिल खारिज है। स्व0 श्री भोलाराम उर्फ भोलिया जी का सजरा खानदान से स्पष्ट होता है कि स्व0 भोलाराम उर्फ भोलिया जी के फौत होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में 2 वारिस हुऐ. जिसमें पुत्र भंवरलाल के देहान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/7 हुऐ। लेकिन भोलाराम उर्फ भोलिया जी के फौत होने के बाद अपीलांट की माता लादुडीदेवी व अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 3 के कायम मुकाम का नाम अपने अपने हिस्से में दर्ज होना था, परन्तु विद्वान सरपंच ने सभी उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण पारित न कर बिना विधिवत जाँच किये नामान्तरकरण पारित कर नामान्तरकरण संख्या 39 में यह अंकित किया कि भोलाराम उर्फ भोलिया जी की मृत्यु होने से उनके लड़के बजरंग पिता भोलीया का नाम दर्ज किया गया है, इस आशय का प्रस्ताव पारित कर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अधिनस्थ पंचायत द्वारा जारी नामान्तकरण आदेश जैर अपील इस आधार पर भी खारिज है, कि विधि द्वारा यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है, कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का एवम् साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए, सुनवाई का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है. अपीलाट को जब बेदखल करने की धमकिया दी कि यहां तुम्हारा कोई हक हिस्सा नही है, ना ही राजस्व रिकोर्ड मे नाम है। इसलिए अपीलांट का विवाह 1964 को होने के बाद अपने ससुराल रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर होने व अपने पति रेलवे ...मॉफ नौकरी करने से वही रहने से अक्सर अपने पीहर मे आना जाना कम ही रहने से अपने पीहर केवल वार त्यौहार मौत मरतग मे आती रही है। अपने भाई बजरंग का देहान्त दिनाक 14.02.2009 को हुआ उस समय अपीलाट आयी और अपनी माता जयनारायण व्यास कॉलोनी मे स्थित मकान मे रूकी, तथा भाभी सम्पत से मिली तथा अपनी जमीन के हिस्से के बारे मे बात की तो गोलमाल जवाब दिया, तथा मौके पर भाकरासनी के गाव वालो से पूछताछ की तो उन्होने बताया कि उक्त भूमि को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बजरंग द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 नरसिंग व नेनाराम को बेचान किये काफी वर्ष हो चुके है। उसके बाद अपीलांट ने बजरंग की पत्नि को अन्य वारिसान से मिली तो इन्होने धमकिया देना शुरू कर दिया। उसके बाद अपीलांट द्वारा वकील की सलाह कर वकील ने जिला न्यायालय जोधपुर में एक दिवानी वाद 2009 में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, उसके बाद 2015 को अपीलांट को हिस्सा देने का केहकर धोखा देने की नियत से रेस्पोडेन्टस ने राजीनामा करवा कर वाद दिनांक 11.09.2015 को वाद विड्रो करवा दिया, उसके बाद अपीलांट ने राजीनामा की शर्त अनुसार मांग की तो रेस्पोडेन्ट से टालमटोल करने लग गये, अपीलांट द्वारा कितनी भी बार लिखित मौखित सूचना दी गयी लेकिन मौखिक राजीनामा की शर्त को मानने को तैयार नही हुऐ। अपीलांट अनपढ होने से इतनी जानकारी नही थी, तथा हाल ही में हक हिस्सा नहीं देने की धमकियां दिनांक 06.01.2019 को दी गयी, तथा रेस्पोडन्टस् के विरूद्व रिपोर्ट पुलिस में दी, इस प्रकार प्रथम जानकारी से अपील अन्दर म्याद है, अपीलान्ट के साथ घोर अन्याय किया गया एवम् सुनवाई के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के समय–समय पर निर्धारित सिद्धान्तो एवम् न्यायिक निर्णयो के अनुसार पक्षकार को न्यायिक कार्यवाही करते समय पूर्ण रूप से सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तयुक्त अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त अपील में अपीलांट को सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर दिये बिना तथा नियम दर–गुजर रखकर आदेश जैर अपील पारित किया इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश जैर अपील मंसूखी है। अपीलान्ट का अपने पिता की विधिक उत्तराधिकारी मे मिली भूमि की खातेदार कब्जासुदा कृषि भूमि आयी हुई है। विद्वान सरपंच द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 39 में अपीलांट का 1/4 वॉ हिस्सा इसी अनुसार प्रत्येक का बनता है, उसके अनुसार दर्ज नही होने व अपीलांट को धोखे में रख कर बिना हक हिस्सा दिये बेचान कर दिया जो अपीलांट के हक हिस्से तक प्रभावहीन घोषित किये जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जावे व नामान्तरकरण संख्या– 39 दिनांक 31.03.1973 सरपंच ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ सरपंच व तहसीलदार को निर्देश दिया जावे कि अपीलांट के पिता भोलिया उर्फ भोलाराम के सभी उत्तराधिकारी के नाम नामान्तरकरण पारित किया जावे। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना उचित समझे तथा जो अपीलान्ट के पक्ष में हो, सादिर फरमाया जावे।

अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये डाक द्वारा समन नोटिस भेजे, रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 को जवाब नही दिया।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी ओर से प्रस्तुत अपील के कथन को दोहराया तथा बताया कि अपीलांट अपने पिता स्व. भोलाराम के देहान्त होने के बाद उत्तराधिकारी नामान्तकरण संख्या 39 भरा गया जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया ना हल्का पटवारी ने इसकी जांच व सुनवाई का अवसर दिया ना ही म्यूटेशन के पुस्त पर किसी प्रकार का सजरा खानदान नहीं बनाया गया, उसके बगैर ही नामान्तकरण संख्या 39 दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि अपीलांट हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 8 की प्रथम श्रेणी की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उत्तराधिकारी पुत्री है, नामान्तकरण सख्या 39 को सरपंच की बैठक में स्वीकृत किये जाने की भारी भूल की है, जब अपीलांट अपने भाई बजरंग का देहान्त दिनाक 14.02 2009 को हुआ उस समय आयी और अपनी माता जयनारायण व्यास कॉलोनी मे स्थित मकान मे रूकी, तथा भाभी सम्पत से मिली तथा अपनी जमीन के हिस्से के बारे में बात की तो गोलमाल जवाब दिया, तथा मौके पर भाकरासनी के गांव वालो से पूछताछ की तो उन्होने बताया कि उक्त भूमि को बजरंग द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 नरसिंग व नेनाराम को बेचान किये काफी वर्ष हो चुके है। उसके बाद अपीलांट ने बजरंग की पत्नि को अन्य वारिसान से मिली तो इन्होने धमकिया देना शुरू कर दिया। तब अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा जिला न्यायालय जोधपुर में सिविल बंटवाडा का वाद पेश किया जिसे रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपीलांट को धोखे में रख कर हिस्सा देने का कहकर सिविल वाद विड्रो करवा दिया, उसके बाद अपीलांट को किसी प्रकार का हक हिस्सा नही दिया गया, मात्र टालमटोल करते रहे, आज दिवस तक अपीलांट को हक हिस्सा नही दिया गया, जबकि अपीलांट अपने पिता की जायज पुत्री है, जिसे अपने पिता की भूमि में उसके देहान्त के बाद बराबर हक हिस्सा बनता है इसलिए नामान्तरकरण संख्या– 39 दिनांक 31.03.1973 सरपंच ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ तहसीलदार लूणी को निर्देश दिया जावे कि अपीलांट के पिता भोलिया उर्फ भोलाराम के सभी उत्तराधिकारी के नाम नामान्तरकरण पारित किया जावे। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसान पहले से ही अपील में होने से फौतेदगी की कार्यवाही किये जाना आवश्यक नही है, तथा साथ ही अपीलांट का भाई बजरंग द्वारा किया गया बेचाननामा अपीलांट के हक हिस्से यानि 1/4 हिस्से तक प्रभावहीन घोषित किया जावे, क्योकि अपीलांट के भाई ने अपना हिस्सा 1/4 के स्थान पर अपना हिस्सा 1/2 का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नही था अपने हिस्से से अधिक भूमि का किया गया बेचान अपीलांट के हक हिस्से यानि 1/4 तक प्रभावहिन घोषित किया जावे। इसलिए नामान्तकरण संख्या 39 भरे जाने से अपीलांट का हक हिस्सा समाप्त नहीं हो सकता है नामान्तकरण संख्या 39 को भरते समय अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नही थी अपीलांट ग्रामीण परिवेज की अनपढ महिला होने से अपीलांट की अपील अन्दर म्याद है। अपीलांटस् ने अपने पक्ष में समर्थन में 2008(1) RRT Page 1406, RLW 1997(1)Raj. Page 224, 1997(2)WLC(Raj) Page 430 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

रेस्पोडेंन्स् के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी नहीं है, तथा अपीलांट दुसरी पत्नि की पुत्री है जिसे सामाजिक रिति रिवाज से रेस्पोडेन्ट द्वारा उसे अपने ससुराल में भेजा तथा वहा पर राजीखुशी रह रही है उसके मायरा भिंदभागा रोकड़ रूपये इत्यादि दिये गये है, इसलिए उपरोक्त भूमि में अब अपीलांट का कोई हक हिस्सा नही है। नामान्तकरण संख्या 39 भरते समय अपीलांट की मौखिक सहमती ली गयी, उसके बाद ही नामान्तकरण भरा गया इसलिए अपीलांट को नामान्तकरण भरते समय उसकी पूर्ण जानकारी थी, अब अपीलांट की नियत में खोट आने व जमीन के भाव अत्यधिक बढ जाने से अपीलांट उक्त जमीन को हड़प करना चाहती है। बेचान के बारे में भी अपीलांट का पूर्ण जानकारी होने से अपीलांट अपील म्याद बाहर होने से खारीज होने योग्य है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र की सुनवायी किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यो को दोहराया और निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 39 स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की उत्तराधिकारीयों की जांच नही कि गयी और न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस ही जारी किया गया, तथा अपीलांट ग्रामीण परिवेज की अनपढ महिला होने से उसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जानकारी नही थी, इसलिए अपील अदर म्याद है, इसी प्रकार रेस्पोडेन्टस् द्वारा भी अपनी बहस मे बताया कि अपील 46 वर्ष पश्चात पेश की है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 78 के अनुसार अपील पेश करने की परिसीमा मात्र 30 दिवस है। अपीलांट को प्रथम जानकारी शुरू से ही होने व 2015 में राजीनामा होने के बाद अपील पेश करने तक का विस्तृत कारण नही बताया गया ना ही अपील देरी से पेश करने का कोई ठोस कारण बताया गया इसलिए अपील म्याद बाहर है।

न्यायालय के मत अनुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा कई बार अधिनिर्णित किया गया कि मामले को गुणावगुण पर मामला ठोस हो, तथा जहां नामान्तकरण शुरू से ही शुन्य है उसके लिए म्याद का बिन्दु गौण होता है, कि जहां गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। उसी अनुसार उक्त अपील मे नामान्तकरण संख्या 39 को स्वीकृत किया जिसको ध्यानपूर्वक देखने मात्र से लगता है कि उक्त नामान्तकरण 39 को कोनसे प्रस्ताव द्वारा उक्त म्यूटेशन स्वीकृत किया गया तथा अपीलांट को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस या किसी उत्तराधिकारीयो की जांच की टिप्पणी नहीं की गयी है, जबकि म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार सभी उत्तराधिकारियो को नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, जो प्रस्तुत मामले में नही दिया गया, इसलिए म्याद की गणना अपीलांट की प्रथम जानकारी से करना उचित प्रतित होता है, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय 2013(1) RRT Page 473 kaniram V/s smt. Daku bai, के केस में मत प्रकट कर प्रतिपादित किया है कि Daly in Filing appeal condoned & appeal was treated in limitation-Revision-Appeal filed after 34 Year of attesting mutation-interim order-No notice was given to non-petitioner before attesting mutation-held प्रस्तुत अपील में मेरिट्स के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसलिए अपीलांट की अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

जहां गुणावगुण का प्रश्न है कि अपीलांट अपने पिता भोलिया उर्फ भोलाराम जी की भूमि की विधिक उत्तराधिकारी की हेसियत से कब्जा काश्त है, तथा अपीलांट को अपने पिता की भूमि में उनके देहान्त होने के बाद उसका नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है, तो अपीलांट के भाई का अकेले नाम करने का कोई ठोस आधार तथा बजरंग द्वारा किस हेसियत से जानबूझकर अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नेनाराम व नरसिंगाराम के हक में बेचान किया, बावजूद इसके अपीलांट को धोखे में रख कर हिस्सा दिये जाने का बताकर सिविल वाद विड्रो करवाने के बाद अपीलांट को किसी प्रकार का हिस्सा नही दिये जाने का कोई ठोस आधार रेस्पोडेन्टस् ने नही बताया है। ऐसा कोई तक्य रिकोर्ड व पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसलिए अपीलांट के पिता

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

स्व. श्री भोलाराम उर्फ भोलिया पुत्र श्री रतना भांबी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा, वाके ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी, जिला जोधपुर मे अपीलांट का 1/4 हिस्सा विधि अनुसार बनना प्रतीत होता है। तथा उसी अनुसार अपीलांट के भाई का 1/4 हिस्सा बनता है अपीलांट के भाई द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि 1/2 का बेचान नेनाराम व नरसिंगराम के हक में करने का कोई अधिकार नही था, इसलिए किया गया बेचाननामा का दस्तावेजात् 1/4 हिस्से की सीमा तक ही प्रवर्तनीय है। बेचाननामा के आधार पर किया गया म्यूटेशन भी स्वतः निरस्तनिय है, अपीलांट के 1/4 हिस्से की भूमि पर अधिकार हासिल है तथा उससे अधिक भूमि का किया गया बेचाननामा से खरीददार को अधिकार हासिल नही होते है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान पंचायत समिति लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा म्यूटेशन संख्या 39 दिनांक 31.03.1973 को शुरू से ही अवैध नामान्तकरण स्वीकृत किया गया तो उसके बाद की कार्यवाही में किये गये बेचाननामे या अन्य कार्यवाही के आधार पर किया गया नामान्तकरण निरस्तनीय व बेचाननामा प्रभावहीन है। अपीलांट की भूमि पर बजरंग द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान किया है, तो उससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होंगें। अगर खातेदार ने अपने हिस्से का सम्पूर्ण बेचाननामा कर दिया है तो भी खरीददारो का 1/4 हिस्से की भूमि ही दर्ज समझी व मानी जावे। इस संबंध में हमने न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है, क्योकि उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्टस् द्वारा भोलाराम उर्फ भोलिया के उपरोक्त सजरा वारिसानो के बारे में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करवायी है, तो उपरोक्त अपीलांट व रेस्पोडेन्टस् ही विधिक वाारिसान ही है, इसलिए अपीलांट को उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा, वाके ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी, जिला जोधपुर में 1/4 हिस्से अनुसार 10 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वांशी भूमि उत्तराधिकारी की हैसियत से प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है और ग्राम भाकरासनी सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान पंचायत समिति लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर का म्यूटेशन संख्या 39 दिनांक 31.03.1973 को निरस्त किया जाता है, तहसीलदार लूणी को उक्त नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह स्व. भोलिया उर्फ भोलाराम के उपरोक्त विधिक वारिसानो की जांच कर उनके नाम नामान्तकरण स्वीकृत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार लूणी को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी

निर्णय आज दिनांक 15/12/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायायलय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी